फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ,
जिला- बून्दी (राज.)

प्रहलादी बाबूलाल आदि

117/51/21 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/8/21	वादपत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' RT Act के तहत प्रार्थना पत्र 80(2) सी.पी.सी के तहत वकील श्री राजेन्द्र सिंह नरूका ने पेश किया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र 80(2) सी पी सी पर वकील वादी को सुना गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर करने की अनुमति दी जाती है। प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 10.11.21 को पेश हो।	प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट नोटिस जारी
25/10/21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट गुढासदावर्तिया में आज पेश हुई। तहसीलदार नैनवां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वादिया का खसरा नं. 876/450 रकबा 0.8090 हैक्टेयर, खसरा नं. 450 रकबा 1-13 बीघा गै०मु० रास्ता से लगता है जो कि पक्का डामर रोड है। वादिया की कृषि भूमि ख.सं. 876/450 मे रोड साईड पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा है। अत: मामला बेदखली का बनता है। हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज, जवाब तहसीलदार नैनवां आदि का अवलोकन किया। प्रार्थिया के खातेदारी की भूमि के लगता डामर रोड होने से वादपत्र 251 'क' की धारा में मेन्टेनेबल नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थिया बेदखली हेतु धारा 183 के अन्तर्गत वाद पत्र प्रस्तुत करें। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:15:14 IST
Reason: SelfAttested